5 रु. भारत पाँच रुपये — Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

विलोपित

PBR/निग/ग्वा/भू-रा/2017/1536

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
जिला ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी/ /अध्यक्ष/2017

(28)

को प्रस्तुत 1-6-17

भगवानसिंह (मृतक) वारिस
रामजीतसिंह यादव पुत्र स्व श्री भगवानसिंह
निवासी ग्राम जडेरूआकला तहसील व जिला
ग्वालियर म0प्र0 ......प्रार्थी

बनाम

1 म0प्र0शासन
2 अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र मुरार परगना व
जिला ग्वालियर म0प्र0 ......प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त संभाग जिला ग्वालियर के द्वारा प्रकरण कमांक 348/2016–17 अपील मे पारित आदेश दिनांकी 03.05.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निग/ग्वा/भू.रा./2017/1536 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–6–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बिना डायवर्सन कराये व बिना टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग की अनुमति लिये मैरिज गार्डन संचालित किये जाने के कारण रुपये 1,60,14,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है। अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थगित नहीं करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है । यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	